


न्यायालय का नाम:- सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

जवाबना बनाम जगसिंह

मुकदमा नम्बर/ 34/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब <del>15/07/24</del> का कार्यवाही दिनांक 21/6/24 को पेश हो।</p>	
21/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील संघ द्वारा कंडोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/7/24 पेश हो।</p>	
11/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी, उपस्थित वादी ने उपस्थित होकर बिट्टी ल खर्किया पत्र उत्पन्न किया। वादी की पहचान वकील वादी ने की। वादी ने बिट्टी खर्किया पत्र उत्पन्न कर मिलेदन किया कि पत्रकारान के मध्य समझौता हो गया है तथा उक्त वाद को बिट्टी करने की इनाम न चाहेगी वादी व वकील वादी को बिट्टी खर्किया पत्र सुना जाकर बिट्टी खर्किया पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादी को वाद बिट्टी करने की स्वीकृति दी जाती है अतः वादी का वाद बिट्टी कर खारिज किया जाता है पत्रावली फ़ैसल मुकदमा नम्बर से कर दी।</p>	 <p>अं. नि. ज. प. का। Identified By [Signature]</p>
	<p>सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ जयपुर</p>	